साहित्य अकादेमी / SAHITYA AKADEMI
रवीन्द्र भवन / Rabindra Bhavan
35, फ़ीरोज़शाह मार्ग, नई दिल्ली- 110001 / 35, Ferozeshah Road, New Delhi- 110001
दूरभाष / Tel: +91-11-23386626, +91-11-23387064
ई-मेल / E-mail: secretary@sahitya-akademi.gov.in
वेबसाइट / Website: http://www.sahitya-akademi.gov.in

SA. 61/20/TP 12 March 2024

साहित्य अकादेमी अनुवाद पुरस्कार नियम
RULES FOR SAHITYA AKADEMI PRIZE FOR TRANSLATION

1. सामान्य

1. नियम 1(2) के अंतर्गत पुरस्कार वर्ष के तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष के पहले पाँच वर्षों में साहित्य अकादेमी (इसके प"चात् जिसे अकादेमी कहा जाएगा) द्वारा मान्यता प्रदत्त भाषाओं में से किसी भी भाषा में किसी भारतीय अनुवादक के प्रकाि"त सर्वोत्कृष्ट अनुवाद के लिए प्रत्येक वर्ष एक पुरस्कार होगा। अनुवाद अकादेमी द्वारा मान्यता प्रदत्त भाषाओं, विदे"ाी भाषाओं, जनजातीय तथा गै़र–मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं में प्रकाि"ात किसी भी लेखक की किसी पुस्तक का हो सकता है।
   उदाहरण : 2025 के पुरस्कार के लिए, 2019 से 2023 के मध्य प्रकाि"ात पुस्तकें ही विचारणीय होंगी।
2. नियम 5(1) के अंतर्गत गठित जूरी की राय में यदि किसी भाषा में पुरस्कार वर्ष के पूर्ववर्ती पाँच वर्षों में प्रकाि"ात कोई पुस्तक पुरस्कार के योग्य नहीं पाई जाती तो उस वर्ष उस भाषा के लिए पुरस्कार नहीं दिया जाएगा।
3. पुरस्कार के रूप में अनुवादक को उतनी राि"ा प्रदान की जाएगी, जितनी अकादेमी समय–समय पर निर्धारित करेगी। पुरस्कार राि"ा के अतिरिक्त एक प्र"ास्ति–पत्र भी प्रकाि"ात किया जाएगा, जिसमें पुस्तक के वैि"ाष्ट्य तथा अपनी भाषा और साहित्य में अनुवादक के योगदान की संक्षेप में चर्चा होगी।
4. अनुवादक की राष्ट्रीयता भारतीय होनी चाहिए तथा उसकी पुस्तक का प्रका"ाक दुनिया में कहीं से भी हो सकता है।
5. दोहरी नागरिकता वाले अनुवादक पुरस्कार के लिए विचारणीय नहीं हैं। प्रवासी भारतीय तथा भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ) पुरस्कार के लिए विचारणीय नहीं हैं।
6. साहित्य अकादेमी पुरस्कारों की किसी भी श्रेणी में पुरस्कार लेखक को जीवन में केवल एक बार एक ही भाषा में दिया जाएगा।

1. General

1. Subject to the provision of rule 1(2), there shall be a prize every year for the most outstanding work of translation by an Indian translator, of an original work by any author written in the languages recognized by Sahitya Akademi (hereafter referred to as the Akademi), foreign languages, Indian tribal and unrecognized languages, first published in any of the languages recognized by Sahitya Akademi during the five years prior to the year, immediately preceding the year of the prize.
   Illustration: For the prize of 2025, books published between 2019 and 2023 would be considered.
2. The prize for any language may not be given during any year if, in the opinion of the Jury constituted in pursuance of rule 5(1), no book published in that language during the five years preceding the year of the prize merits the prize.
3. The prize shall consist of such amount as the Akademi may from time to time decide besides a citation that brings out, briefly, the book's significance and its translator's contribution to his/her language and literature.
4. The translator must be of Indian nationality, and the publisher of his/her book may be from anywhere in the world.
5. Translator having dual citizenship is not eligible for the prize. Non-Resident Indians and Persons of Indian Origin (PIO) are not eligible for the prize.
6. The award in any categories of Sahitya Akademi awards shall be given to the author only once in a lifetime in one language only in that category.

7. पुरस्कार के लिए केवल तभी विचार किया जाएगा जब चयन की अंतिम प्रक्रिया में कम–से–कम तीन पुस्तकें हों।

2. पुरस्कार के लिए विचारणीयता के मानदंड

1. पुरस्कार के विचारार्थ होने के लिए पुस्तक को किसी मौलिक कृति का पूर्ण, असंक्षिप्त और मूलनिष्ठ अनुवाद होना चाहिए :–

   टिप्पणी: प्राचीन तथा मध्यकालीन गौरव ग्रंथों के अनूदित अं"ाों के अनुवाद भी पुरस्कार के लिए पात्र होंगे।

2. मूल लेखक की प्रतिष्ठा तथा कृति वि"ोष की उत्कृष्टता को भी ध्यान में रखा जाएगा।

3. ऐसे लेखक की कृति, जो अकादेमी के कार्यकारी मंडल का सदस्य है, विचारणीय नहीं होगी।

4. किसी संपर्क भाषा के माध्यम से किए गए अनुवाद पर भी विचार किया जा सकता है, लेकिन प्राथमिकता मूल भाषा से किए गए अनुवाद को दी जाएगी।

5. अनुवादक की मृत्यु के बाद प्रका"ित कृति केवल तभी पुरस्कार के लिए विचारणीय होगी, यदि लेखक की मृत्यु पुरस्कार के लिए निर्धारित पाँच वर्ष के भीतर या बाद में हुई हो।

   उदाहरण: यदि अनुवादक की मृत्यु वर्ष 2019 से पूर्व की हो, उस स्थिति में उसकी कृति, वर्ष 2025 के पुरस्कार हेतु विचारणीय नहीं होगी।

6. संयुक्त रूप से अनूदित पुस्तक भी पुरस्कार की पात्र होगी। यदि ऐसी कृति पुरस्कृत होती है, तो पुरस्कार रा"ि अनुवादकों के बीच बराबर–बराबर बाँट दी जाएगी।

7. ऐसी पुस्तक/अनुवादक पुरस्कार के अयोग्य होंगे, जिसके संबंध में कार्यकारी मंडल को वि"वास हो जाए कि उसे पुरस्कार दिलाने के लिए समर्थन जुटाया गया है।

8. यूनेस्को के दि"ाानिर्दे"ाों के अनुसार, एक पुस्तक न्यूनतम 49 पृष्ठों (कवर पृष्ठों को छोड़कर) की होनी चाहिए।

9. 1 जनवरी 2025 से पहली बार प्रका"ित पुस्तकों के संदर्भ में सभी पुरस्कारों के लिए आईएसबीएन अनिवार्य है।

10. स्व–प्रका"ान (लेखक प्रका"ाक भी है) सभी पुरस्कारों के लिए विचारणीय हो सकते हैं, ब"ार्ते उनका आईएसबीएन हो। इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकें (ई–बुक) पुरस्कार के लिए विचारणीय नहीं हैं।

11. एकल भाषा में पुस्तकें (साहित्य अकादेमी द्वारा मान्यता प्रदत्त निम्नलिखित लिपि–भाषा में) पुरस्कार के लिए विचारणीय हैं :–

    असमिया में असमिया, बाङ्ला में बाङ्ला, देवनागरी में बोडो, देवनागरी में डोगरी, रोमन में अंग्रेज़ी,, गुजराती

7. The prize will be considered only if there is minimum of three books in the final stage of selection.

2. Criteria of eligibility for the Prize

1. In order to be eligible for the prize, the book must be a full, unabridged and readable translation of the original work.

   Note: Translation of parts of an ancient or medieval classic will also be eligible for the prize.

2. The standing of the original writer and the excellence of the work would also be taken into consideration.

3. The work of a translator, who is a member of the Executive Board of the Akademi, shall not be considered.

4. While translation through a link language can be considered, preference will be given to a work of translation from the original language.

5. A posthumous publication is eligible for the prize only if the translator has died within the five-year period stipulated for the prize or later.

   Illustration: A translator who has died before 2019 would not be eligible for the prize of 2025.

6. A book jointly translated by two persons shall be eligible for the prize. If such a work wins the prize, the prize amount shall be equally divided between the translators.

7. A book/ translator shall be disqualified for the prize if it is established to the satisfaction of the Executive Board that canvassing has been done by the translator.

8. As per the UNESCO guidelines, a book should be of minimum 49 pages (excluding the cover pages).

9. ISBN is mandatory for all the awards for the books first published from 1 January 2025.

10. Self-publications (author is also a publisher) can be eligible for all awards so long as they have ISBN. Electronic books (E-books) are not eligible for the prize.

11. Books in single language (in the following language script recognized by Sahitya Akademi) are eligible for the prize: -

    Assamese in Assamese, Bengali in Bengali, Bodo in Devanagari, Dogri in Devanagari, English in Roman, Gujarati in Gujarati, Hindi in Devanagari, Kashmiri in Kashmiri, Kannada in

में गुजराती, देवनागरी में हिंदी, क”मीरी में क”मीरी, कन्नड में कन्नड, देवनागरी में कोंकणी, देवनागरी में मैथिली, मलयाळम् में मलयाळम्, मणिपुरी में मणिपुरी, देवनागरी में मराठी, देवनागरी में नेपाली, ओड़िआ में ओड़िआ, गुरुमुखी में पंजाबी, देवनागरी में राजस्थानी, ओल चिकी में संताली, देवनागरी में संस्कृत, फ़ारसी–अरबी में सिंधी, तमिळ में तमिळ, तेलुगु में तेलुगु तथा फ़ारसी–अरबी में उर्दू।

12. दो भाषाओं में प्रकाि"ात पुस्तकें (ऊपर वर्णित स्वीकृत लिपियों में) भी विचारणीय हो सकती हैं, यदि प्रत्येक भाषा में कम–से–कम 49 पृष्ठ हों।

13. अकादेमी द्वारा प्रकाि"ात पुस्तकें अकादेमी पुरस्कारों के लिए विचारणीय नहीं होंगी।

14. ऐसे अनुवादक की पुस्तक पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होगी, जो साहित्य अकादेमी का महत्तर सदस्य, पूर्व अध्यक्ष, कार्यरत कर्मचारी हो।

15. पुरस्कार केवल पुस्तक पर दिए जाएँगे, तथा साहित्य में किसी लेखक के संपूर्ण योगदान पर पुरस्कार नहीं दिए जाएँगे।

3. विज्ञापनों का प्रका”ान, पुस्तकों की अर्हता तथा पुस्तकों के लिए भाशा पराम”र्ा मंडल के सदस्यों की संस्तुतियाँ प्राप्त करना

(1) अकादेमी प्रत्येक वर्ष अपने द्वारा मान्यता प्रदत्त 24 भारतीय भाषाओं के भारतीय अनुवादकों द्वारा अनूदित उनकी श्रेष्ठ पुस्तकों को पुरस्कृत करने हेतु समाचार पत्रों के साथ–साथ साहित्यिक पत्रिकाओं में विज्ञापनों का प्रका”ान करेगी।

(2) अनुवादकों, प्रका”ाकों तथा अनुवादकों के शुभचिंतकों द्वारा विचारणीय पुस्तकों को अकादेमी में विचारार्थ जमा किया जा सकता है।

(3) प्रका”ाक अपनी इच्छानुसार चाहे जितनी भी पुस्तकें भेज सकते है।

(4) जमा की गई पुस्तकों को अनुवादकों, शुभचिंतकों अथवा प्रका”ाकों को वापस नहीं किया जाएगा तथा पुरस्कार प्रक्रिया से संबंधित पत्राचार का कोई उत्तर नहीं दिया जाएगा।

(5) छद्म नाम / उपनाम से अनुवादित कृति के संदर्भ में लेखक को स्व–घोषणा प्रस्तुत करनी होगी।

(6) समस्त 24 भारतीय भाषाओं में प्राप्त पुस्तकों में से सुयोग्य पुस्तकों की सूची संबद्ध भाषा पराम”र्ा मंडल के (संयोजक सहित) सभी सदस्यों को इस अनुरोध के साथ भेजी जाएगी कि वे अकादेमी द्वारा निर्धारित तिथि तक दो पुस्तकें अनुमोदित करें।

प्रत्येक सदस्य–

(क) सूची से दोनों पुस्तकें, अथवा

(ख) एक पुस्तक आधार–सूची से और दूसरी अपनी रुचि की, अथवा

(ग) दोनों पुस्तकें अपनी रुचि की चुन सकता है।

Kannada, Konkani in Devanagari, Maithili in Devanagari, Malayalam in Malayalam, Manipuri in Manipuri, Marathi in Devanagari, Nepali in Devanagari, Odia in Odia, Punjabi in Gurumukhi, Rajasthani in Devanagari, Santali in Ol Chiki, Sanskrit in Devanagari, Sindhi in Perso-Arabic, Tamil in Tamil, Telugu in Telugu and Urdu in Perso-Arabic.

12. Books published in two languages in recognized scripts as mentioned above are also eligible, subject to minimum number of 49 pages in each of the languages.

13. The books published by the Akademi shall not be eligible for the Akademi prize.

14. The book of a translator who is a Fellow, former President, working staff/employee of the Sahitya Akademi is not eligible.

15. The prize shall be given only to the book, and there shall be no prize for total contribution to literature by an author in any language recognized by the Akademi.

3. Publication of the advertisement, eligibility of the books and obtaining recommendations from members of the Language Advisory Board

(1) The Akademi shall every year publish advertisements in newspapers as well as in literary magazines in each of the 24 Indian languages inviting the best book in translation by Indian translators for the prize.

(2) The translators themselves, publishers and well-wishers of the writers/translators can submit entries for the Prize for the consideration of the Akademi.

(3) The publishers can send as many books as they desire.

(4) The books so submitted will not be returned to the translators, well-wishers or publishers and no correspondence will be entertained regarding the award process.

(5) For the purpose of submitting a work translated under a pseudonym/pen-name, the translator must submit a self-declaration.

(6) The list of books received and found eligible in all the 24 Indian languages shall be sent to all the members of the concerned Language Advisory Board (including the Convener) with a request to recommend two titles each by such date as may be specified by the Akademi. A member may select:

(a) both the titles from the list, or

(b) one title from the list and the other on his/her own, or

(c) both the titles on his / her own

4. प्रारंभिक पैनल तथा उसके कार्य

1. प्रारंभिक पैनल में दस निर्णायक होंगे, जिनका चयन अध्यक्ष द्वारा संबद्ध भाषा पराम"ार्ा मंडल के सदस्यों के सुझावों पर विचार करने के प"चात् किया जाएगा।
2. भाषा पराम"ार्ा मंडल के सदस्यों से प्राप्त संस्तुतियाँ संकलित करके प्रत्येक निर्णायक को भेजी जाएँगी।
3. प्रत्येक निर्णायक दो पुस्तकें अनुमोदित करेगा। ये पुस्तकें पूर्ववर्ती नियम 4(2) के अनुसार भेजी गई सूची में से चुनी जा सकती हैं अथवा निर्णायक द्वारा स्वयं अपने विवेक से।

5. जूरी और उसके कार्य

1. प्रारंभिक पैनल के निर्णायकों की संस्तुतियों पर एक त्रि–सदस्यीय जूरी विचार करेगी। जूरी के सदस्यों का चयन अध्यक्ष द्वारा इस संदर्भ में प्राप्त संबद्ध पराम"ार्ा मंडल के सदस्यों की संस्तुतियों पर विचार करने के उपरांत किया जाएगा।
2. प्रारंभिक पैनल के निर्णायकों द्वारा अनु"ांसित पुस्तकें अकादेमी ख़रीद कर जूरी के सदस्यों और संयोजक को भेजेगी।
3. संयोजक, जूरी और अकादेमी के बीच संपर्क सूत्र का काम करेगा। वह यह सुनि"चत करेगा/करेगी कि जूरी कि बैठक उचित और संतोषजनक रूप से संपन्न हो। वह जूरी की रिपोर्ट पर प्रतिहस्ताक्षर भी करेगा/करेगी। संयोजक की अनुपस्थिति में अकादेमी के अध्यक्ष, सामान्य परिषद् अथवा पराम"ार्ा मंडल के सदस्य को उनके स्थान पर नामित कर सकते हैं।
4. जूरी के सदस्य या तो सर्वसम्मति से अथवा बहुमत से पुरस्कार के लिए एक पुस्तक की अनु"ांसा करेंगे। वे यह भी अनु"ांसा कर सकते हैं कि उनके विचार में इस वर्ष कोई भी पुस्तक पुरस्कार के योग्य नहीं है। समस्त सदस्यों को बैठक में भाग लेना होगा, कोई सदस्य यदि किसी आकस्मिक कारणव"ा बैठक में उपस्थित नहीं हो पाता तो वह अपनी संस्तुति लिखित रूप से भेज सकता/सकती है। चर्चा में भाग लेने हेतु उनसे दूरभाष पर संपर्क साधा जा सकता हैं।

6. पुरस्कार की घोशणा

जूरी की संस्तुति को औपचारिक अनुमोदन और पुरस्कार की घोषणा के लिए कार्यकारी मंडल के समक्ष रखा जाएगा। पुरस्कार की घोषणा के साथ ही जूरी के सदस्यों के नाम और अंतिम चरण में चुनी गई पुस्तकों की सूची भी घोषित कर दी जाएगी।

4. The Preliminary Panel and its functions

1. The Preliminary Panel shall consist of ten Referees. These Referees shall be nominated by the President after considering suggestions of the members of the Language Advisory Board concerned.
2. The recommendations received from members of the Language Advisory Board shall be compiled and sent to each Referee.
3. Each Referee should recommend two books. These titles may be selected either out of the list sent in pursuance of rule 4(2) above or by the Referee on his/her own.

5. The Jury and its Functions

1. The recommendations of Referees in the Preliminary Panel shall be considered by a three-member Jury. The Jury members shall be selected by the President after considering the recommendations in this behalf by the members of the Language Advisory Board concerned.
2. The Akademi shall purchase the books recommended by the Referees in the Preliminary Panel and send them to the Jury members and to the Convener.
3. The Convener shall act as the link between the Jury and the Akademi. He/she will ensure that the meeting of the Jury is conducted properly and satisfactorily and will countersign the report of the Jury. In the absence of the Convener, President may nominate a General Council or an Advisory Board Member to convene the Jury meeting.
4. The Jury members shall, either by consensus or by majority, recommend a book for this prize. They may also recommend that, in their opinion, no book is eligible for the Prize during the year. All the members have to attend the meeting, however, only in case of emergency he/she may convey his/her views in writing. He/she should be provided with the facility of participating in the discussion over the phone.

6. Declaration of the Prize

The recommendation of the Jury shall be placed before the Executive Board for formal approval and announcement of the prize. The names of the Jury members and the shortlisted books in the final stage shall be made public simultaneously with the announcement of the Prize.

7. विविध

1. यदि भाषा पराम"ार्ा मंडल के किसी सदस्य या निर्णायक द्वारा संस्तुति भेजने की समय–सीमा की अनदेखी की जाती है, तो अकादेमी यह मानकर चलेगी कि उसकी कोई संस्तुति नहीं है और तदनुसार अपनी पुरस्कार–प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी, सिवाय उस वि"ोष परिस्थिति के, जिसमें अकादेमी समय–सीमा को बढ़ा पाने की स्थिति में हो तथा वास्तव में उसे बढ़ाती हो।

   अकादेमी कार्यालय का प्र"ाासन समय–सीमा के बारे में निर्णय ले सकता है।
2. कार्यकारी मंडल/अध्यक्ष के निर्णयानुसार पुरस्कार समारोह की तिथि और स्थान निर्धारित किया जाएगा।
3. यदि पुरस्कार प्रदान किए जाने के पूर्व किसी पुरस्कार विजेता की मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में वह पुरस्कार उसके/उसकी पति/पत्नी अथवा किसी क़ानूनी वारिस को दिया जाएगा।
4. पराम"ार्ा मंडल के सदस्य, प्रारंभिक पैनल के सदस्य तथा जूरी सदस्य हितों के जुड़ाव से मुक्त होने की घोषणा करेंगे और यह घोषित करेंगे कि वे किसी ऐसे अनुवादक की पुस्तक की अनु"ांसा नहीं कर रहे हैं, जो जन्म से या किसी भी प्रकार के वाणिज्यिक गठजोड़ के माध्यम से उनसे संबंधित है।

7. Miscellaneous

1. If the time limit for submission of recommendations is not observed by a member of the Language Advisory Board or by a Referee, the Akademi shall presume that he or she has no recommendation to make and shall proceed accordingly unless, in any particular case, it is in a position to extend the time limit and actually does so.

   The administration of the office of the Akademi may decide about the time limit.
2. The prize presentation ceremony shall be held on such date and at such place as the Executive Board/President may decide.
3. In the event of the death of a prize-winning translator before conferment of the prize, it shall be given to his/her spouse or to a legal heir.
4. The Advisory Board Members, Preliminary Panel Members and the Jury Members shall provide non-conflict of interest declaration and declare that they are not recommending any book by the translator who is related to them by birth or through any commercial tie up of any nature.

सचिव
साहित्य अकादेमी

Secretary
Sahitya Akademi